has given us with regard to genuinely empowering the Panchayati Raj institutions with functions, functionaries and the Finances to be able to run the third tier of Government.

MR. CHAIRMAN: Next question. Q. No. 284.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Sir, I want to ask about Kashmir Panchayat. आप मुझे एक मौका दे दीजिए ...(**व्यवधान**)... यह कश्मीर पर है ...(**व्यवधान**)... It is a very important thing.

آپ مجھے ایک موقع دے دیجئے..... مداخلت.... یہ کشمیر پر ہے.... مداخلت....

اٹ ازاے وري امپورٹنٹ تھنگ-

MR. CHAIRMAN: I won't allow you.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Sir, why this hurry?

MR. CHAIRMAN: I am not allowing you because I have to complete the questions.

†**प्रो. सैफुद्दीन सोज** : कश्मीर में पंचायत के मामले पर ...(**व्यवधान**)...

پرو فیسر سیف الد ین سوز: کشمیر میں پنچا یت کے معا ملے پر....مداخلت....

श्री सभापति : मैं एलाऊ नहीं कर रहा हूं, आप हर मामले में जिद मत किया कीजिए।

पंचायती राज की त्रि-स्तरीय व्यवस्था

*284. **श्री दारा सिंह चौहान** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचायती राज व्यवस्था की त्रि-स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानों, विकास समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों को दिए गए अधिकारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्राम पंचायतों के विकास के लिए उपलब्ध योजनाओं और प्रत्येक योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों में उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यों को ढंग से पूरा नहीं किया गया है; और

†Transliteration of Urdu Script.

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

पंचायती राज मंत्री (श्री मणिशंकर अय्यर) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) संविधान का अनुच्छेद 243 छ-पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों तथा दायित्वों से संबंधित है। इसमें यह व्यवस्था है कि संविधान के प्रावधानों के अध्यधीन राज्य विधान मण्डल कानून बनाकर पंचायतों को ऐसी शक्तियां और ऐसे प्राधिकार सौंप सकता है, जो उन्हें स्व-शासन की संस्थाओं के रुप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे कानून में उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को शक्तियां तथा दायित्व सौंपने के प्रावधान शामिल होंगे, जिन्हें राज्य ने निम्नलिखित के लिए ऐसी शर्तों के अध्यधीन कानून बनाकर विनिर्दिष्ट किया हो:

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाना,

(ख) उनको सौंपी गई आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं को कार्यान्वित करना जिसमें ग्यारहवीं सूची में सूचीबद्ध विषय शामिल हों।

इसलिए पंचायती राज की त्रि-स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत प्रधान तथा अन्य प्राधिकारी ऐसी शक्तियों तथा अधिकारों का उपयोग करेंगे तथा राज्य पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत राज्य के संबंधित विधान मण्डल द्वारा उनको सौंपे गए ऐसे दायित्वों का निर्वाह करेंगे ताकि संविधान के अनुच्छेद 243-छ में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

(ख)संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जिला, ब्लॉक तथा ग्राम स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य अतिरिक्त मजदूरी रोजगार सृजित करना और सामाजिक आर्थिक परिसंपत्तियां मुहैया कराना तथा ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। एक जिले के लिए आबंटित निधियां जिला पंचायत, मध्यस्तरीय पंचायत तथा ग्राम पंचायतों के बीच 20:30:50 के आधार पर वितरित की जाती है। चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4500 करोंड रु. तथा 50 लाख टन खाद्यान्न आंबटित किए गए। इसके अतिरिक्त, 2020 करोड रु. तथा 20 लाख टन खाद्यान्नों के आबंटन से 150 अत्यंत पिछडे जिलों में नवम्बर, 2004 से काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम नामक एक नया कार्यक्रम शुरु किया गया है ताकि इन चुने हुए जिलों में अधिक दिनों के रोजगार अवसरों को और बढाया जा सके।

(ग)और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश राज्य में एस.जी. आर.वाई. कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 1.4.2004

से पूरी तरह से शुरु कर दिया गया है, उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश के संबंध में 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान निधियों का आबंटन, रिलीज तथा उपयोग इस प्रकार है:

(लाख रु. में)

उत्तरांचल

वर्ष	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	राज्य अंश तथा अथशेष सहित उपयोग
2002-03	4258.87	4398.54	5031.26
2003-04	4940.35	5355.75	6286.09

उत्तर प्रदेश

वर्ष	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	राज्य अंश तथा अथशेष सहित उपयोग
2002-03	63243.32	66092.08	91865.03
2003-04	73362.27	65695.85	73043.31

Three-tier system of Panchayati Raj

†*284. SHRI DARASINGH CHAUHAN: Will the Minister of PANCHAYATI RAJ be pleased to state:

(a) the details of the rights accruing to the Pradhans, Members of the Development Committees and the district councils under the three-tier system of Panchayati Raj;

(b) the details of the schemes available and the moneys being provided under each scheme for the development of Gram Panchayats;

(c) whether Government are aware that development work under the said schemes has not taken place in a satisfactory manner in Uttaranchal and Uttar Pradesh during the last three years; and

(d) if so, the details thereof and if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI MANI SHANKAR AIYAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Article 243 G of the Constitution deals with the powers, authority and responsiblities of Panchayats. It provides that subject to the provisions

†Original notice of the question was received in Hindi.

of the Constitution, the Legislature of a State may by law endow the Panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government and such law may contain provision for the devolution of powers and responsibilities upon Panchayats, at the appropriate level, subject to such conditions as may be specified therein with respect to:

(a) preparation of plans for economic development and social justice,

(b) the implementation of schemes for economic development and social justice as may be entrusted to them including those in relation to the matters listed in the Eleventh Schedule.

The Pradhans and other authorities under the three tier of system of Panchayati Raj, therefore, enjoy such powers and authority and shoulder such responsibilities as may be entrusted to them by the State Legislature concerned of a State under the State Panchayati Raj Act to achieve the goals set out in Article 243 G of the Constitution.

(b) The Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) is being implemented by the Ministry of Rural Development in association with the Panchayati Raj Institutions at the levels of district, block and village. This scheme aims at the generation of additional wage employment and thus providing social and economic assets and rural infrastructure development. Funds and foodgrains allocated to a district are distributed amongst District Panchayat, Intermediate Panchayats and Village Panchayats in the ratio of 20:30:50. During the current year, an amount of Rs. 4,500 crores and 50 lakh tonnes foodgrains have been allocated under this programme. In addition to this, a new programme called the National Food for Work Programme has been launched in November, 2004 in the 150 most backward districts with an allocation of Rs. 2020 crores and 20 lakh tonnes foodgrains with a view to ensuring a larger number of days of employment opportunity to the rural poor in these selected districts.

(c) and (d) According to the Ministry of Rural Development, the SGRY programme is being implemented satisfactorily in the States of Uttaranchal and Uttar Pradesh. This programme became fully operational from 1.4.2002, the details of allocation, releases and utilization of funds during 2002-03 and 2003-04 in respect of Uttaranchal and Uttar Pradesh are given as under:—

(Rs. in lakhs)

Uttaranchal			
Year	Central Allocation	Central Release	Utilisation including State share and opening balance
"2002-03	4258.87	4398.54	5031.26
2003-04	4940.35	5355.75	6286.09
Uttar Pradesh			
Year	Central Allocation	Central Release	Utilisation including State share and opening balance
2002-03	63243.32	66092.08	91865.03
2003-04	73362.27	65695.85	73043.31

श्री दारा सिंह चौहान: सभापति महोदय, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला से लेकर गाँव स्तर तक विकास की योजना, विकास परिषद् और जिला योजना समिति के माध्यम से तय की जाती है। इसमें योजनाएं बनाई जाती हैं। लेकिन उत्तरांचल सहित उत्तर प्रदेश, पजांब,आन्ध्र प्रदेश, झारखंड जैसे तमाम ऐसे राज्य आज भी है, जहां जिला योजना समिति नही बनाई गई है। जहां पर जिला योजना समिति का निर्माण नही हो पाया है, वहां पर किस तरीके से हम विकास का काम करते है और अगर भविष्य में इन प्रदेशों में जिला योजना समिति का निर्माण किया जाता है, तो उस जिला योजना समिति में सांसदों का, खास कर राज्य सभा के जो सदस्य है, जिनका क्षेत्र पूरा प्रदेश होता है, उनकी भूमिका इसमें क्या होगी?

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, हर राज्य का संवैधानिक दायित्व बनता है कि वह पंचायत चुनाव करवाए और जिला योजना समितियों को गठित करे। खुशी की बात है कि जो अन्य राज्य है, वहां पंचायती राज के चुनाव हो चुके है। मात्र पांडिचेरी और जिस झारखंड का आपने जिक्र किया,वहां अब तक पंचायत के चुनाव नही हुए है और बार-बार हमने अपने मंत्रालय की तरफ से और आमने-सामने उनके मंत्रियों से अनुरोध किया है कि पांडिचेरी और झारखंड में चुनाव हों। दूसरी चीज यह है कि जिला योजना समितियों को गाठित करना, वह भी एक संवैधानिक दायित्व है। उसके लिए धारा 243 (जेड) (डी) में प्रावधान किया गया है। अफसोस की बात है कि 13 साल पश्चात् हम 2005 में है और जो कानून हमने पारित किया था, वह 1992 में किया था। कुछ ऐसे राज्य है, जिन्होंने 243 (जेड) (डी) के अन्तर्गत जिला योजना समितियां अभी तक गठित नही की है और

एक-दो राज्य ऐसे है, जहां पर गठित की गई है, लेकिन संविधान के अनुसार नही की गई है। उसके दायरे से जरा बाहर आकर देखिए तो हमारे पास इस सिलसिले में सारे तत्व मिल गए है और मैंने निजी तौर पर मुख्यमंत्रियों को और हर राज्य में जो पंचायती राज के मंत्री है, जहां की यह काम या तो अधूरा रह गया है या शुरु भी नही हुआ है, उनको अवगत कराया है कि यह करना उनका एक संवैधानिक दायित्व बनता है, अगर उन्होंने इस काम को पूरा नही किया है तो वे संविधान का उल्लंघन कर रहे है। अब मै उम्मीद रखता हूं कि क्योंकि हमने सब पंचायती राज मंत्रियों को संगठित करके उनकी तरफ से सिफारिश निकाली है कि यह काम किया जाना चाहिए,और वह भी तुरंत ,कि अब तो कम से कम,जबकि उनकी खुद की माँग है कि किया जाना चाहिए, वे करेंगे।

अब आपने इससे जोड कर एक और सवाल किया था कि जो राज्य सभा के सदस्य है उनकी क्या भूमिका रहेगी? इस पर मै जवाब नही दे सकता हूं, क्योंकि धारा 243 (जेड) (डी) के अन्तर्गत यह बताया गया है कि हर राज्य अपने कानून के जारिए बताएगा कि गठित करने में किन-किन व्यक्तियों को जोड सकता है, 25 प्रतिशत तक। उसके जो 75 प्रतिशत सदस्य बनेंगे, वे नगपालिकाओं से और जिला पंचायत की तरफ से चुन कर आएंगे, लेकिन 25 प्रतिशत जो सदस्य है, उनका नामांकन हो सकता है, लेकिन नामांकन करने का तरीका और किस लिहाज से वे करेंगे, वह हर राज्य तय करेगा। आपसे मेरा सुझाव यह है कि ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है।

श्री मणि शंकर अय्यर: आप अपने राज्य से पूछें कि कैसे आपको इसमें शामिल कर सकते है। दिक्कत आपकी यह होगी ....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : चलिए, काफी हो गया।

श्री मणि शंकर अय्यर : कि क्योंकि आप हर जिले में नही जा सकते है, तो राज्य के प्रतिनिधि बनते हुए, मै नही जानता हूं कि कौन-से जिले में आप काम करना चाहेंगे।

श्री सभापति : नेक्स्ट सप्लीमेंटरी।

श्री दारा सिंह चौहान : सभापति महोदय, यह सही है कि पंचायत के जो प्रतिनिधि चुन कर आएं, वे प्रदेश के सही लोगों के सही प्रतिनिधि हों। जो पंचायतें ऐसे लोगों को लेकर आने का प्रयास कर रही है और गलत लोग जैसे क्रिमिनल्स है ऐसे elements पंचायतों में चुनकर न आएं, ऐसे लोगों को रोकने के लिए अगर कोई प्रदेश सरकार प्रयास करती है तो क्या हम उसको प्रोत्साहित करेंगे?

श्री मणि शंकर अय्यर: सर, यह समस्या पंचायतों तक सीमित नहीं है। इस सदन में और बगल के सदन में भी ऐसे कुछ लोग आते हैं, लेकिन कानून बिल्कुल स्पष्ट है कि हम क्रिमिनल उसी को

कह सकते हैं जिस पर इल्जाम लगने के बाद कार्यवाही हुई हो और उसको दोषी करार दिया गया हो। अब इस कानून में अगर कुछ परिवर्तन हो तब हम उसको पंचायतों के लिए भी लागू कर सकते हैं, लेकिन देशभर के लिए कानून एक ही है- चाहे राज्य सभा के सदस्य हों, लोक सभा के सदस्य हों, विधायक हों या पंचायत के सदस्य हों हम तो उसी हिसाब से लोगों को चुनकर लाते हैं।

श्री सभापति : आपने कहा इस सदन में या उस सदन में भी ऐसे लोग आते हैं, क्या आपके ध्यान में ऐसे लोग हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर : नहीं, सर। मेरा कहना यह है कि इल्जाम लगता है। मैंने स्पष्टीकरण दिया कि जब तक हम कानून के जरिए उसको दोषी करार नहीं देते तब ऐसे शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है।

श्री दारा सिंह चौहान : सर, मैं यह कह रहा हूं कि जो प्रदेश सरकार इस संबंध में प्रयास कर रही है कि उनके यहां पंचायतों में अच्छे लोग चुनकर आएं, क्या उसको हम प्रोत्साहित करेंगे?

श्री मणि शंकर अय्यर : जरूर करेंगे।

SHRI JESUDASU SEELAM: The hon. Minister has given an expert answer on the Panchayat Raj. He has satisfied all the Members. Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister, throgh you, that the Government of Andhra Pradesh had held an All-party Meeting. There had been a consensus on the issue of the three-tier system, instead of the five-tier system. And, some of the States have also been demanding this flexibility. Will the hon. Minister be kind enough to allow the States on the flexibility issue, because they are the best judges to decide what suits them?

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, the supplementary question, put by the hon. Member, is irrelevant to the main question. It is not for the Government of India to give any flexibility, but it is for the Constitution to determine the limits of the flexibility. And the expression just used, 'there is a five-tier system', is completely misplaced. In Andhra Pradesh, and also in the rest of the country, we have only the three-tier system. *(Interruptions)*

प्रो. सैफुद्दीन सोज : सर...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : मैं हर question पर आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... आप सुन लीजिए, जो मेंबर्स आज तक सवाल नहीं पूछते, उनको भी सवाल पूछने की सुविधा मुझे देनी है। ...(**व्यवधान**)... मैं अलाउ नहीं करुंगा।

डा. नारायण सिंह मानकलाव : महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के "क" भाग में मंत्री जी से पूछा था कि जो तीन तरह की व्यवस्थाएं है, उनमें किस-किस के क्या-क्या अधिकार हैं, इस बारे में मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि तीनों तरह की व्यवस्था में आपस में समन्वय की कमी है। क्या उस संबंध में किसी प्रकार का मूल्यांकन किया गया है जिससे यह मालूम पड़े कि पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में तारतम्य न होने के कारण काम में बाधाएं आ रहीं हैं? क्या इस तरह का मूल्यांकन किया गया है और किया गया है तो उसका क्या परिणाम है?

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, धारा 243 (जी) में बताया गया है कि हर राज्य को तय करना है कि हर राज्य में किस प्रकार का सुपुर्दगीकरण होगा। इस सिलसिले में कुछ राज्य बहुत आगे बढ गए हैं और कुछ राज्य है जिन को और आगे बढना चाहिए। हर राज्य में परिस्थिति समान नहीं है लेकिन जो अच्छे उदाहरण हमारे पास हैं उनको हमने दूसरों के सामने पेश किया है और उनसे अनुरोध किया है कि वह भी इस प्रकार का विचार करें कि क्या वहां की प्रणाली को बेहतर किया जा सकता है। महोदय, जहां तक समन्वय का सवाल है, यह किसी समिति के द्वारा नहीं किया जा सकता है यह activity-mapping के जरिए किया जा सकता है ताकि हर अधिकार के बारे में स्पष्ट बताय जाए कि उस अधिकार का पालन ग्राम पंचायत करेगी या मध्य-पंचायत करेगी या कि जिला परिषद करेगी। क्योंकि मैं एक्टिविटी मैंपिंग को पंचायती राज की बुनियाद समझता हूं, हमने सब को बुलाकर यह तय किया है कि इस वित्तीय साल के अंदर हर राज्य में यह होना चाहिए और टैक्निकल असिस्टेंस हम दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस वित्तीय साल के अन्दर होगा, लेकिन इस साल के अंदर होने की उम्मीद मैं रखता हूं।

MR. CHAIRMAN: Next question 285.

तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल/डीजल की कीमतों में संशोधन किए जाने की मांग

*285. **श्री राम जेठमलानी** :
श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: †

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 2005 में देश में तेल कंपनियो ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढाने के लिए सरकार से स्वीकृति मांगी है:

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

† सभा में यह प्रश्न श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा द्वारा पूछा गया।